दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone 0788-2359400

क्र. 189 /अका. /2018 दुर्ग, दिनांक : 5/6/18

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की तृतीय बैठक शुक्रवार, दिनांक 01.06.2018 समय दोपहर 02:00 बजे विश्वविद्यालय के टैगोर हॉल में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

प्रो. शैलेन्द्र सराफ, कुलपति – अध्यक्ष

1. डॉ. चंद्रिका नाथवानी – सदस्य
2. डॉ. ओ.पी. गुप्ता – सदस्य
3. डॉ. ए.के.मिश्रा – सदस्य
4. डॉ. अनिता महिस्वर – सदस्य
5. मान. श्री विद्यारतन भसीन – सदस्य
6. मान.श्री अवधेश सिंह चंदेल– सदस्य
7. डॉ. राधा पाण्डेय – सदस्य
8. डॉ. पद्मा अग्रवाल – सदस्य
9. श्री राजेश कुमार तिवारी – सदस्य
10. श्री अशोक लोहिया – सदस्य
11. डॉ. प्रशांत श्रीधर बोकारे – सदस्य

डॉ. एस. के. त्रिपाठी, कुलसचिव – सचिव

<u>बैठक में प्रस्तुत विषयों पर निम्नानुसार निर्णय लिए गए:–</u>

विषय क्रमांक 01.

कार्यपरिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 28.03.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः

कार्यपरिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 28.03.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 02.

कार्यपरिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 28.03.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना ।

निर्णयः

कार्यपरिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 28.03.2018 के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 03.

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.05.2018 में प्रस्तुत किये गये विषयों पर लिये गये निर्णयों/कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णयः

शोध उपाधि प्रदान करने की प्रक्रिया आरंभ करने संबंधी विस्तृत विवरण कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.05.2018 में प्रस्तुत किये गये विषयों पर लिये गये निर्णयों/कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 04. (अकादमिक विभाग)

1. सूचीबद्ध अशासकीय महाविद्यालयों के शासी निकायों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में दो–दो सदस्यों का नामांकन करना।

निर्णयः

अशासकीय महाविद्यालयों के शासी निकायों में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में दो–दो सदस्यों का नामांकन करने के लिए कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

2. भारतीय सांस्कृतिक निधि / Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) की सदस्यता स्वीकार करने हेतु अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णयः

INTACH की सदस्यता स्वीकार करने हेतु अनुमोदन किया गया।

3. विश्वविद्यालय परिनियम 30 के अनुसार दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के पात्र विद्यार्थियों को गोल्ड मैडल प्रदान करने हेतु दान प्रतिग्रहित करना एवं प्रति गोल्ड मैडल Endowment Fund की राशि 60000/– (साठ हजार रू. मात्र) प्रस्तावित है। इच्छुक दानदाताओं से संलग्न फॉर्म में विवरण एवं राशि प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा तत्संबंधी विनियम तैयार किया जायेगा तथा विद्यापरिषद की स्थायी समिति से विनियम का अनुमोदन प्राप्त कर, दान प्रतिग्रहण एवं विनियम के अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रक्रिया किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करना।

निर्णयः

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के पात्र विद्यार्थियों को गोल्ड मैडल प्रदान करने हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 05. (गोपनीय विभाग)

मुख्य परीक्षा (मार्च–मई) 2018 में दिनांक 12.03.2018 को आयोजित बी.ए. द्वितीय वर्ष के दो छात्रों को त्रुटिवश बी.ए. द्वितीय वर्ष के स्थान पर बी.कॉम. द्वितीय वर्ष का आधार पाठ्यक्रम–हिन्दी भाषा का प्रश्नपत्र वितरित कर दिया गया था।

उक्त छात्रों की उक्त विषय की पुनः परीक्षा आयोजित करने हेतु प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णयः

पुनः परीक्षा आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई तथा महाविद्यालय को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाये कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

विषय क्रमांक 06. (परीक्षा / गोपनीय विभाग)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27.12.2003, 26.06.2007 एवं 11.07.2012 में गोपनीय / परीक्षा विभाग से सम्बंधित विभिन्न अतिरिक्त कार्य करने के एवज में निर्धारित पारिश्रमिक / जोखिम भत्ता प्रदान करने हेतु दी गई स्वीकृति को दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में भी स्वीकृति दिये जाने हेतु विचार करना।

निर्णयः

पारिश्रमिक / जोखिम भत्ता प्रदान करने हेतु चालू सत्र से स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 07. (स्थापना विभाग)

छ.ग. राजपत्र दिनांक 24 अप्रैल 2015 के अनुसार विश्वविद्यालय का नाम ''दुर्ग विश्वविद्यालय दुर्ग'' है। कलेक्टर, दुर्ग (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक 79/सी.एम. /घोषणा/2018, दुर्ग दिनांक 12/04/2018 (संलग्न) के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 12/04/2018 को दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग का नाम ''हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग'' करने की घोषणा की गई है। विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन संबंधी सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः

विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन संबंधी सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक 08. (वित्त विभाग)

01. वित्त वर्ष 2017–18 हेतु विश्वविद्यालय के आय–व्यय की जानकारी पत्रक का अनुमोदन करना।

निर्णयः

वित्त वर्ष 2017–18 हेतु विश्वविद्यालय के आय–व्यय की जानकारी पत्रक का अनुमोदन किया गया।

02. विश्वविद्यालय विनियम 108 के भाग – 6 की कंडिका (7) ''स्थायी अग्रिम'' के अनुसार विश्वविद्यालय के समस्त विभागों को राशि रुपये दस हजार प्रति विभाग एवं विकास विभाग को राशि रुपये बीस हजार अग्रिम प्रदाय किया जाना है। सामान्य मद से स्थायी अग्रिम मान्य करने हेतु स्वीकृति एवं अनुमोदन करना।

निर्णयः

विश्वविद्यालय के समस्त विभागों को निम्नानुसार राशि रुपये दस हजार प्रति विभाग एवं विकास विभाग को राशि रुपये बीस हजार अग्रिम प्रदाय किये जाने की स्वीकृति दी गई तथा अनुमोदन किया गयाः–

कुलपति कार्यालय – दस हजार रुपये
कुलसचिव कार्यालय – दस हजार रुपये
अकादमिक विभाग – दस हजार रुपये
परीक्षा विभाग – दस हजार रुपये
गोपनीय विभाग – दस हजार रुपये
वित्त विभाग – दस हजार रुपये
स्थापना विभाग – दस हजार रुपये
विकास विभाग – बीस हजार रुपये

क्रय हेतु विश्वविद्यालय के क्रय नियमों का पालन किया जाएगा।

03. दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के बजट वर्ष 2018–19 के मुख्य शीर्ष A General Administration उपशीर्ष 2 Contingencies (iii) Advertisement में वर्ष 2018–19 के लिए प्रावधानित राशि से अधिक व्यय संभावित होने के कारण मुख्य शीर्ष E. Examination and Evaluation Administration उपशीर्ष 2 Contingencies (e) Misc. Exam, Contingencies Transportation etc. से राशि 15 लाख रू. अंतरित करने की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णयः

स्वीकृति दी गई।

04. विश्वविद्यालय के विभिन्न मदों में राशि 18,76,00,000/– (अठारह करोड़ छिहत्तर लाख रू. मात्र) एक वर्ष अवधि के लिए सावधि जमा (एफ.डी.आर.) खाते में जमा किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः

विश्वविद्यालय के विभिन्न मदों में राशि 18,76,00,000/– (अठारह करोड़ छिहत्तर लाख रू. मात्र) एक वर्ष अवधि के लिए सावधि जमा (एफ.डी.आर.) खाते में जमा किये जाने की सूचना ग्रहण गई।

05. द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा (मई–जून) 2017–18 हेतु केन्द्र अग्रिम रू. 10,78,000/– (दस लाख अठत्तर हजार रू.मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णयः

द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा (मई–जून) 2017–18 हेतु केन्द्र अग्रिम रू. 10,78,000/– (दस लाख अठत्तर हजार रू.मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

06. विश्वविद्यालय में वित्तीय वित्त अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है। अतः वित्तीय नियंत्रण, आहरण एवं संवितरण का कार्य कुलसचिव के द्वारा किया जाता रहा है। चूंकि इस विश्वविद्यालय में नियमित वं पारदर्शिता हेतु राशि रू. 5000/–तक के धनादेशों में वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर एवं राशि रू. 5000/– से अधिक के समस्त धनादेशों में वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव के संयुक्त हस्ताक्षर किये जाने के प्रस्ताव पर विचार करना।

निर्णयः

राशि रू. 5000/–तक के धनादेशों में वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर एवं राशि रू. 5000/– से अधिक के समस्त धनादेशों में वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव के संयुक्त हस्ताक्षर किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक 09. (मूल्यांकन विभाग)

मुख्य परीक्षा / सेमेस्टर परीक्षा 2018 के लिए परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग संबंधी प्रकरणों के परीक्षण हेतु अध्यादेश 5 की कंडिका क्रमांक – 20(VI) के तहत समिति का गठन किया जाना है। समिति में कार्यपरिषद् द्वारा सदस्य नामांकित करने पर विचार करना।

निर्णयः

अनुचित साधनों के उपयोग संबंधी प्रकरणों के परीक्षण हेतु गठित समिति में निम्नानुसार सदस्य नामित किए गएः–

1. डॉ. चंद्रिका नाथवानी – विद्यापरिषद द्वारा नामित सदस्य
2. डॉ. ओ.पी. गुप्ता – संकायाध्यक्ष
3. डॉ. ए.के. मिश्रा – कार्यपरिषद द्वारा नामित सदस्य

विषय क्रमांक 10. (विकास विभाग)

01. विनियम क्र. 108 में संलग्न संशोधन प्रस्ताव को मान्य करना एवं केन्द्रीय क्रय समिति में कार्यपरिषद के द्वारा सदस्य के मनोनयन पर विचार करना।

निर्णयः

विनियम क्र. 108 के संशोधन प्रस्ताव को मान्य करते हुए केन्द्रीय क्रय समिति में श्री अशोक लोहिया जी का मनोनयन किया गया।

01. वि0वि0 विक्रय समिति के गठन का अनुमोदन एवं विक्रय समिति में कार्यपरिषद के द्वारा एक सदस्य के मनोनयन पर विचार करना।

निर्णयः

विक्रय समिति में कार्यपरिषद द्वारा श्री अशोक लोहिया जी का मनोनयन किया गया।

02. वि0वि0 की सत्र 2017–18 की परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात् कार्य संपादन हेतु छ0ग0 संवाद, रायपुर के माध्यम से 02 बार प्रकाशित कराए गए निविदा सूचना की देयक राशि क्रमशः रू. 5,18,998/. एवं रू. 6,72,719/- दोनों देयकों की कुल योग राशि रू. 11,91,717=00 (रू. ग्यारह लाख इंक्यान्वे हजार सात सौ सत्रह मात्र) छ0ग0 संवाद, रायपुर को भुगतान किये जाने की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय :

छ.ग. संवाद रायपुर को रू. 11,91,717.00 भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई तथा निर्णय लिया गया कि विज्ञापन संबंधी प्रक्रिया संवाद के माध्यम से जारी रखी जाए एवं विज्ञापन की डिजाईन अनुमोदित एवं साईज न्यूनतम हो तथा पूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध हो।

03. विश्वविद्यालय के साथ हुए अनुबंध एवं कार्यादेश के अनुसार अनुबंधित फर्म को सत्र 2017 की सेमेस्टर एवं 2018 की मुख्य परीक्षा के परीक्षा पूर्व कार्य संपादन की देयक राशि रू. 2,61,64,920=00 की 50% राशि रू. 1,30,82,460=00 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान करना।

निर्णयः

परीक्षा पूर्व एवं परीक्षा पश्चात् के कार्यों के संबंध में अनुबंधित फर्म के कार्य निष्पादन (Perfomnance) पर विस्तार से चर्चा की गई। वर्तमान सत्र हेतु उक्त अनुबंधित फर्म के द्वारा कार्य पूर्ण करने दिया जाए तथा आगामी सत्र से परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु नई प्रक्रिया प्रारंभ कर प्रस्ताव कार्यपरिषद में रखने हेतु निर्णय लिया गया। अनुबंधित फर्म को उनके द्वारा प्रस्तुत देयक की 50% राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक 11.

कार्यपरिषद की द्वितीय बैठक दिनांक 28.03.2018 में निर्णय हेतु शेष विषय :
(स्थापना विभाग)

11.1 शासन द्वारा प्रोग्रामर सहित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 43 पदों को भरने की स्वीकृति में से 13 पदों के संविलियन के पश्चात शेष पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें से वरिष्ठ अधीक्षक, कुलपति के निज सहायक एवं तृतीय श्रेणी के अन्य पदों पर पदोन्नति तथा 25 पदों पर सीधी भर्ती हेतु आरक्षण समिति के द्वारा तैयार किए गए रोस्टर को मान्य करने पर विचार करना।

निर्णयः

विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए आरक्षण रोस्टर को राज्य शासन (आदिम जाति कल्याण विभाग) को परीक्षण एवं अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

11.2 पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विनियम क्रमांक 91 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदो के लिए उल्लेखित शैक्षणिक योग्यताएं तथा प्रोग्रामर पद के लिए छ.ग. शासन/छ.ग. हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित योग्यता को दुर्ग विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया हेतु मान्य किये जाने पर विचार करना।

निर्णयः

प्रस्ताव मान्य किया गया तथा चिप्स/NIC से प्रोग्रामर पद के लिए निर्धारित योग्यता संबंधी अद्यतन नियम/दस्तावेज प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

11.3 दुर्ग विश्वविद्यालय में प्रोग्रामर एवं तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर छ.ग. व्यवसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए विचार करना।

निर्णय :

व्यापम को सीधी भर्ती हेतु पत्राचार एवं तत्संबंधी प्रक्रिया आरंभ किये जाने का अनुमोदन किया गया।

11.4 दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संविलियन पर पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा प्रस्तुत निम्नानुसार मांगों पर विचार करना।

चिकित्सा भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्तिः—

तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों द्वारा भरे गये विकल्प के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति दिये जाने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दुर्ग भिलाई के किसी प्राधिकृत चिकित्सक/चिकित्सा अधिकारी को कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयको में

प्रतिहस्ताक्षर हेतु अधिकृत किया जा सकता है जिसके लिए दुर्ग विश्वविद्यालय हेतु अस्थायी चिकित्सा अधिकारी की व्यवस्था के प्रस्ताव का अनुमोदन करना।

निर्णयः

कुलसचिव महोदय को अस्थायी चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति हेतु सुलभ रूप से उपलब्ध चिकित्सक से चर्चा के उपरान्त मानदेय के निर्धारण इत्यादि मामलों को अगली बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति :–

भविष्य में किसी प्रकार की अंकेक्षण आपत्ति अथवा शासन के निर्देश प्राप्त होने पर दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से वसूली किये जाने की शर्त पर (तत्संबंधी घोषणा पत्र प्राप्त कर) उन्हें शिक्षण शुल्क की अधिकतम प्रतिपूर्ति राशि रू. 4000.00 प्रति बच्चे की दर से (अधिकतम दो बच्चों के लिए) भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन करना।

निर्णयः

अंकेक्षण विभाग तथा शासन से अनुकूल दिशा निर्देश प्राप्त होने की शर्त के अध्याधीन घोषणा पत्र प्राप्त कर भुगतान की स्वीकृति दी गई।

परीक्षा शुल्क में छूट

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 366/वित्त, दिनांक 15/01/86 के तारतम्य में दुर्ग विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले नियमित/अमहाविद्यालयीन कर्मचारियों का और उनके पुत्र/पुत्री, पति/पत्नि को परीक्षा शुल्क में छूट की सुविधा प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन करना।

निर्णयः

दुर्ग विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों और उनके पुत्र/पुत्री, पति/पत्नि को परीक्षा शुल्क में छूट की सुविधा प्रदान करने के संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

11.5 शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग

1. पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता तथा अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले टीम के प्रत्येक सदस्यों, प्रशिक्षकों तथा मैनेजरों को पुरस्कार प्रदाय करने के प्रस्ताव को सत्र 2016–17 से लागू करने हेतु विचार करना।

निर्णयः

चालू सत्र 2017–18 से लागू किये जाने की स्वीकृति दी गई इस हेतु शारीरिक शिक्षा मद से व्यय किया जायेगा।

2. विश्वविद्यालय में विभिन्न खेलों के आयोजन/संचालन हेतु क्रीड़ा समिति का गठन किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के द्वारा दो सदस्यों को नामित करने पर विचार करना।

निर्णयः

क्रीड़ा समिति में कार्यपरिषद द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया गया :–

1) माननीय श्री अवधेश सिंह चंदेल

2) माननीय श्री विद्यारतन भसीन

विषय क्रमांक 12.

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

विषय क्रमांक–1

सत्र 2017–18 की परीक्षाओं के लिए गोपनीय मुद्रण कार्य कराने हेतु कुलसचिव द्वारा संचालित गोपनीय खाते में कुल राशि 50 लाख रू. अंतरित किए जाने की कार्योपरांत अनुमति प्रदान करना।

निर्णयः

सत्र 2017–18 की परीक्षाओं के लिए गोपनीय मुद्रण कार्य कराने हेतु कुलसचिव द्वारा संचालित गोपनीय खाते में कुल राशि 50 लाख रू. अंतरित किए जाने की कार्योपरांत अनुमति प्रदान की गई। परीक्षा उपरांत विस्तृत प्रतिवेदन कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद में प्रस्तुत किया जाएगा।

विषय क्रमांक–2

दुर्ग विश्वविद्यालय में संचालक महाविद्यालय विकास परिषद (DCDC) के पद सृजन हेतु शासन को स्मरण पत्र प्रेषित किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः

दुर्ग विश्वविद्यालय में संचालक महाविद्यालय विकास परिषद (DCDC) के पद सृजन हेतु शासन को पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक–3

राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों हेतु मंहगाई भत्ते में की गई वृद्धि को दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में लागू किये जाने की अनुमति प्रदान करना।

निर्णयः

राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों हेतु मंहगाई भत्ते में की गई वृद्धि को दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में लागू किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक–4

विश्वविद्यालय के निर्माण समिति का गठन की प्रक्रिया की जा रही है, समिति का गठन होने तक शासकीय एजेंसियों के माध्यम से विश्वविद्यालय भवन में आवश्यक निर्माण कार्य तथा जीर्णोद्धार किये जाने हेतु विश्वविद्यालय कार्यपरिषद को अधिकृत करने का अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णयः

विश्वविद्यालय के निर्माण समिति का गठन होने तक कार्यपरिषद के अनुमोदन से आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। कार्यपरिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से विश्वविद्यालय भवन में आवश्यक अस्थायी निर्माण कार्य तथा जीर्णोद्धार हेतु विभाग से प्राप्त प्रस्ताव 15.65 लाख रू. की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय क्रमांक—5

विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेशों की समीक्षा हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है :—

1. डॉ. एस.के.वर्मा, पूर्व कुलपति सरगुजा विश्वविद्यालय
2. डॉ. डी.एन.वर्मा, प्राचार्य, साईंस कॉलेज, रायपुर
3. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग

उपरोक्तानुसार समिति गठित किये जाने की अनुमति प्रदान करना।

निर्णयः

समिति गठित किये जाने का अनुमोदन किया गया।

विषय क्रमांक—6

विश्वविद्यालय के लिए लघु अवधि एवं दीर्घावधि के नीतियों के निर्माण हेतु विजन कमेटी का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित है :—

1. कुलपति, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग
2. पूर्व कुलपति (1 अथवा 2)
3. कार्यपरिषद द्वारा नामित दो सदस्य
4. कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग
5. चार प्राध्यापक (कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से एक एक)

उपरोक्तानुसार समिति गठित किये जाने की अनुमति प्रदान करना तथा दो सदस्य नामित करना।

निर्णयः

विजन कमिटी का गठन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। विजन डाक्यूमेंट का डॉफ्ट कार्यपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जावेगा।

विषय क्रमांक—7

डॉ. प्रदीप कुमार दुबे, सेवानिवृत्त तकनीकी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में ''कुलपति के निज सहायक'' के रिक्त पद के विरूद्ध संविदा पर नियुक्त किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक–8

डॉ. हेमंत शर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग में ''सहायक लेखा अधिकारी'' के रिक्त पद के विरूद्ध प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः

सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक–9

विश्वविद्यालय की ओर से अंतर विश्वविद्यालयीन एवं अंर्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की परीक्षा अलग से आयोजित किये जाने के संबंध में।

निर्णय :

विश्वविद्यालय की ओर से अंतर विश्वविद्यालयीन एवं अंर्तराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की परीक्षा अलग से आयोजित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

विषय क्रमांक–10

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा संपादित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हेतु पारिश्रमिक की निर्धारित सीमा में वृद्धि करने के संबंध में।

निर्णय :

उपर्युक्त पारिश्रमिक की निर्धारित अधिकतम सीमा में वृद्धि करते हुए उसे सत्र 2018–19 के लिए 40000/–(चालीस हजार रू. मात्र) करने का अनुमोदन किया गया।

कुलपति
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
(अध्यक्ष)

कुलसचिव
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
(सचिव)

पृ.क्र. 190 /अका./2018 दुर्ग, दिनांक : 5/6/18

प्रतिलिपिः –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. कार्यपरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
4. वित्त नियंत्रक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
5. कुलपति महोदय के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

कुलसचिव
दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)